प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (दायित्व, शक्तियाँ व सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19-क, यथा संशोधित 1984, के प्रावधानों के अंतर्गत तैयार किया गया है। लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

इस प्रतिवेदन में 'रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा पावर फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को ऋण' की लेखापरीक्षा के परिणाम दिए गए हैं। 2013-14 से 2015-16 के दौरान रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) और पावर फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) ने स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपीज़) को ₹ 47706.88 करोड़ राशि के ऋण संवितरित किए। इसी अवधि के दौरान, इन आईपीपीज़ के संबंध में अनर्जक परिसंपत्तियाँ (एनपीएज़) 2.32 प्रतिशत से 13.90 प्रतिशत तक (आरईसी) तथा 4.28 प्रतिशत से 19.86 प्रतिशत तक (पीएफसी) में बढ़ गई। इसके महत्व को देखते हुए, आरईसी तथा पीएफसी द्वारा आईपीपीज़ को ऋण संवितरण व संस्वीकृति की लेखापरीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा आरईसी, पीएफसी तथा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर प्रदत किए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती है।